Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री / टी.ए. / 5744 / 2004 / हनुमानगढ

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ।

.....अपीलान्ट

बनाम

रामेश्वर पुत्र श्री भादर, जाति हरीजन (मेघवाल) निवासी नीमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

.....रेस्पोन्डेन्ट

खण्ड–पीठ

श्री विजय कुमार सोनी, सदस्य
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थितः–

श्री विजेन्द्र चौधरी, अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट
श्री शशिकान्त जोशी, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

दिनांक : 17 अप्रैल, 2018

निर्णय

1– यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा–224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25–9–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ ने अपने समक्ष जैरकार अपील संख्या–169/2002 शीर्षक रामेश्वर बनाम राजस्थान स्टेट को स्वीकार कर अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, नोहर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31–10–2002 निरस्त कर वादी / रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 का दावा संख्या–288/98 अन्तर्गत धारा–88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, शीर्षक रामेश्वर बनाम राजस्थान स्टेट को स्वीकार कर डिक्री किया है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्यानुसार वादी / वर्तमान रेस्पोन्डेन्ट रामेश्वर ने एक दावा संख्या–288/98 अन्तर्गत धारा–88–188 राजस्थान काश्तकारी

अपील डिक्री / टी.ए. / 5744 / 2004 / हनुमानगढ
राजस्थान सरकार बनाम रामेश्वर

अधिनियम, शीर्षक रामेश्वर बनाम राजस्थान सरकार, न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, नोहर के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि तहसील नोहर के ग्राम नीमला के साबिका खसरा नम्बर–161 की 15.00 बीघा भूमि वादी / अपीलान्ट को दिनांक 23–7–1972 को आवंटित की गयी थी। आवंटन आदेश की पालना में आवंटी भूमि का कब्जा दिनांक 10–8–1972 को सुपुर्द किया गया। पैमाईश में भू प्रबन्ध विभाग द्वारा साबिका खसरा नम्बर–161 की 15.00 बीघा भूमि के नये खसरा नम्बर–108 रकबा 17.05 बीघा भूमि में पैमूद किया गया। नये खसरा नम्बर–108 की 17.05 बीघा भूमि बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश / निर्णय के गैर मुमकिन सिवायचक नाकाबिल काश्त गोचर दर्ज कर दी गयी। भू प्रबन्ध विभाग को पूर्व की प्रविष्टि को परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिये दावा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे। विद्वान उप खण्ड अधिकारी, नोहर ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31–10–2002 के द्वारा दावा को खारिज कर दिया। विद्वान उप खण्ड अधिकारी, नोहर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31–10–2002 के विरूद्ध वादी / रेस्पोन्डेन्ट के द्वारा प्रथम अपील संख्या–169/02 शीर्षक रामेश्वर बनाम राजस्थान स्टेट, न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ के समक्ष प्रस्तुत की गयी। विद्वान राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25–9–2004 के द्वारा अपील को स्वीकार कर विद्वान उप खण्ड अधिकारी, नोहर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31–10–2002 निरस्त कर वादी / रेस्पोन्डेन्ट का दावा संख्या–288/98 अन्तर्गत धारा–88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार कर डिक्री कर दिया। विद्वान राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25–9–2004 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

4– विद्वान अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट की मुख्य बहस यह है कि वादी / रेस्पोन्डेन्ट को दिनांक 23–7–1972 को भूमि का आवंटन किया गया था, परन्तु आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो को पूर्ण किया गया है अथवा नहीं। इस बात की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी। वादी / रेस्पोन्डेन्ट अपने वाद को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा था। विवादग्रस्त भूमि पर वादी / रेस्पोन्डेन्ट का कब्जा भी नहीं है। कब्जा के अभाव में खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किये जा सकते हैं। आवंटित भूमि पर खातेदारी अधिकार केवल आवंटन नियमों के तहत ही प्रस्तुत किये जा सकते है। घोषणा का दावा में आवंटित भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। विद्वान राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ का निर्णय दिनांक 25–9–2004 विधि विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने

योग्य है। इसलिये अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विद्वान राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ का निर्णय दिनांक 25–9–2004 निरस्त किया जावे।

5– इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट की मुख्य बहस यह है कि विवादग्रस्त भूमि का आवंटन, आवंटन पश्चात विवादित भूमि का भौतिक कब्जा देना अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर मौजूद प्रदर्श पी–1 व प्रदर्श पी–2 से साबित है। प्रदर्श पी–6 मिलान क्षेत्रफल से यह साबित है कि साबिका खसरा नम्बर–161 के नये खसरा नम्बर–108 बने हैं। भू प्रबन्ध विभाग को राजस्व रिकार्ड में किये गये अंकन को परिवर्तन करने का कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। नये खसरा नम्बर–108 की भूमि को गैर मुमकिन सिवायचक नाकाबिल काश्त गोचर दर्ज गलत किया गया है। इसी आधार पर विद्वान राजस्व अपील अधिकारी ने अपना निर्णय दिनांक 25–9–2004 पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। इसलिये विद्वान राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ का निर्णय दिनांक 25–9–2004 यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे।

6– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी, बहस पर मनन किया गया तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों का अवलोकन किया गया।

7– अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर मौजूद प्रदर्श पी–1 से यह साबित है कि साबिका खसरा नम्बर–161 की 15.00 बीघा का आवंटन दिनांक 23–7–1972 को वादी / रेस्पोन्डेन्ट को किया गया था। प्रदर्श पी–2 से यह तथ्य साबित है कि आवंटित भूमि का कब्जा दिनांक 10–8–1972 वादी / रेस्पोन्डेन्ट को सुपुर्द किया गया। प्रदर्श पी–3 कार्यवाही भू आवंटन सलाहकार समिति से यह तथ्य साबित है कि सलाहकार समिति की राय से खसरा नम्बर–161 रकबा 15.00 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है। प्रदर्श पी–6 मिलान क्षेत्रफल से यह तथ्य साबित है कि साबिका खसरा नम्बर–161 मी. व 62 मी. से नये खसरा नम्बर–108 रकबा 17.05 बीघा भूमि पैमूद हुई है। जब साबिका खसरा नम्बर–161 मी. की 15.00 बीघा भूमि का स्थाई आवंटन वादी / रेस्पोन्डेन्ट को दिनांक 23–7–1972 को किया गया है तो भू प्रबन्ध के दौरान बने नये खसरा नम्बर–108 की 17.05 बीघा भूमि में से 15.00 बीघा भूमि प्राप्त करने का अधिकारी वादी / रेस्पोन्डेन्ट है। अपीलान्ट राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अपील मीमों का अवलोकन किया गया। अपील मीमों में अपील का यह आधार लिया गया है कि वादी / रेस्पोन्डेन्ट द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना की गयी है अथवा नहीं, कोई साक्ष्य रिकार्ड पर मौजूद

अपील डिक्री / टी.ए. / 5744 / 2004 / हनुमानगढ
राजस्थान सरकार बनाम रामेश्वर

नहीं है तथा वादी / रेस्पोन्डेन्ट का विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा भी नहीं है। अपील मीमों में दिये गये आधार वादी / रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध आवंटन निरस्त करने के आधार हो सकते हैं। इन आधारों पर भू प्रबन्ध विभाग द्वारा किया गया क्षेत्राधिकारविहीन परिवर्तन का समर्थन नहीं किया जा सकता है। विद्वान राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा अपना निर्णय दिनांक 25–9–2004 विस्तृत तथा तर्कसंगत एवं राजस्व रिकार्ड के आधार पर पारित किया गया है, परन्तु विद्वान राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25–9–2004 में कुछ सदभाविक त्रुटि भी है। वादी / रेस्पोन्डेन्ट को साबिका खसरा नम्बर–161 की 15.00 बीघा भूमि का स्थाई आवंटन दिनांक 23–7–1972 को किया गया था। प्रदर्श पी–6 मिलान क्षेत्रफल से यह तथ्य साबित है कि साबिका खसरा नम्बर–161 मी. की 16.15 बीघा भूमि तथा 62 मी. की 0.10 बीघा भूमि के नये खसरा नम्बर–108 रकबा 17.05 बीघा भूमि पैमूद हुई है। वादी / रेस्पोन्डेन्ट आवंटन आदेश दिनांक 23–7–1972 के तहत कुल 15.00 बीघा भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है। विद्वान राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ ने अपने निर्णय दिनांक 25–9–2004 के द्वारा खसरा नम्बर–108 की 17.05 बीघा भूमि पर वादी / रेस्पोन्डेन्ट को खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये हैं, जो विधि विपरीत है। वादी / रेस्पोन्डेन्ट को आवंटन नियमों के तहत ही खातेदारी अधिकार प्रदत्त हो सकते हैं। वादी घोषणा के दावा में गैर खातेदारी अधिकारों की घोषणा ही करवा सकता है। वादी / रेस्पोन्डेन्ट केवल खसरा नम्बर–108 की 15.00 बीघा भूमि पर गैर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। इस आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25–9–2004 के पेज नम्बर–4, लाईन नम्बर–16 में ''हाल खसरा नम्बर–108 की 17.05 बीघा भूमि वादी की खातेदारी दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं कि हद तक निरस्त कर हाल खसरा नम्बर–108 की 15.00 बीघा भूमि वादी की गैर खातेदारी दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं, अंकित किया जाता है।'' विद्वान राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ का शेष निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25–9–2004 यथावत रहेगा।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य

(विजय कुमार सोनी)
सदस्य

अपील डिक्री / टी.ए. / 5744 / 2004 / हनुमानगढ

राजस्थान सरकार बनाम रामेश्वर